

प्रेषक,

प्रताप सिंह शाह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 18 मई, 2022

विशय:- प्रदेश में पंजीकृत अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन गैस सिलेन्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-3599/आ0खा70/683/2022, दिनांक-22.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में निःशुल्क तीन गैस सिलेन्डर रिफिल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त सुविधा के लाभ हेतु लाभार्थी के पास अन्त्योदय राशन कार्ड होना अनिवार्य होगा।
- 2- यह सुविधा जनपद के जिलापूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जायेगी। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की सम्बन्धित गैस एजेंसी को अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- सम्बन्धित गैस एजेंसी द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों को इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से जुलाई के मध्य प्रथम, माह अगस्त से नवम्बर के मध्य द्वितीय तथा माह दिसम्बर से मार्च के मध्य तृतीय निःशुल्क गैस सिलेन्डर रिफिल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- सम्बन्धित गैस एजेंसी द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क रिफिल गैस सिलेन्डर उपलब्ध कराने के उपरान्त माह जुलाई, नवम्बर तथा मार्च के अन्त में विल का प्रमाण व लाभार्थी का स्वप्रमाणित निर्धारित घोषणा पत्र सहित जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार गैस एजेंसी को भुगतान किया जायेगा। जिलापूर्ति अधिकारियों को बजट की धनराशि आयुक्त, खाद्य, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

Signed by Pratap Singh
Shah

Date: 18-05-2022 18:25:43

(प्रताप सिंह शाह)

अपर सचिव।

संख्या-531/XIX-1/22/09 खाद्य/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- राज्य स्तरीय समन्वयक, आई0ओ0सी0एल0, उत्तराखण्ड।
- 4- उपभोक्ता, खाद्य, गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल।
- 5- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- ग्राहक एग्रेसो।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2
संख्या 50/18-XIX-2/61 खाद्य/2013
देहरादून: दिनांक 11 जनवरी, 2018
कार्यालय ज्ञाप

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्न के मानक मूल्य एवं गुणवत्ता तथा योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन आदि के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालय ज्ञाप सं० 682/XIX/06-145/2004 दिनांक 15.06.2010 द्वारा सतर्कता समितियों का गठन किया गया था। वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 (1) में भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर दुकान के स्तरों पर प्रत्येक राज्य सरकार से सतर्कता समितियों का गठन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.06.2010 द्वारा गठित सतर्कता समितियों को निरस्त करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित सतर्कता समितियाँ गठित की जाती हैं-

1. राज्य स्तर पर

मा० खाद्य मंत्री -अध्यक्ष

मा० मंत्री पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/शहरी विकास -सदस्य

संपुष्ट असिस्त मा० सांसद सदस्य -सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम 05 मा० विधायक -सदस्य

प्रमुख सचिव, खाद्य/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/शहरी विकास -सदस्य

आयुक्त, खाद्य विभाग -सदस्य

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल -सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित उपभोक्ता कार्यकर्ता, युवा एवं

महिला संगठनों के अधिकतम 05 सदस्य -सदस्य

यह समिति राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के समग्र कार्यकारण तथा राज्य में इस योजना को सुचारु रूप से चलाने में पेश आ रही समस्याओं की समीक्षा करेगी। यह समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निदान हेतु केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकती है।

जिला स्तर पर

अध्यक्ष, जिला पंचायत

जिलाधिकारी

कार्यालय आयुक्त
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

उत्तराखण्ड

3364

आक प्राप्त संख्या
दिनांक 12/01/18

-अध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

-सदस्य

अनुभाग जिससे सम्बंधित है

- मुख्य विकास अधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी —सदस्य
जिला परियोजना अधिकारी / जिला सहायक निबन्धक
अध्यक्ष द्वारा नामित लाभ भोगी सदस्यों / सामाजिक /
उपभोक्ता संगठनों तथा जनता के प्रतिनिधि जैसे विभिन्न
वर्गों के 10 सदस्य —सदस्य
जिला पूर्ति अधिकारी —सदस्य सचिव
- 2. ब्लाक / तालुका स्तर पर**
- ब्लाक प्रमुख —अध्यक्ष
अध्यक्ष द्वारा नामित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध
अधिकतम 05 कार्डधारी, 03 स्थानीय निकाय 03 क्षेत्रीय
पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि 03 सामाजिक कार्यकर्ता —सदस्य
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक —सदस्य सचिव
- 3. नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत स्तर पर**
- अध्यक्ष, नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत —अध्यक्ष
अध्यक्ष द्वारा नामित निकाय से चुने गये
अधिकतम 05 पार्षद / वार्ड मेम्बर —सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित सामाजिक एवं उपभोक्ता संगठनों के
अधिकतम 03 प्रतिनिधि —सदस्य
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक —सदस्य सचिव
- 4. ग्राम पंचायत स्तर पर**
- ग्राम प्रधान —अध्यक्ष
ग्राम प्रधान द्वारा नामित कार्डधारकों के अधिकतम
05 प्रतिनिधि जिसमें कुछ महिलायें गरीबी रेखा से नीचे
/ अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी होंगे, सामाजिक व
उपभोक्ता संगठन के कार्यकर्ता अधिकतम 05 सदस्य —सदस्य
ग्राम पंचायत अधिकारी —सदस्य सचिव

राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लाक / तालुका स्तर, नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाने वाली उक्त सतर्कता समितियों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 (1) के प्राविधानुसार प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों में स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

सतर्कता समितियां निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्—

उत्तराखण्ड शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2
संख्या 19-XIX-2/18 खाद्य/2010
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या- 192(14)/2018-FC A/Cs दिनांक 06.05.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खाद्यान्न के परिवहन हेतु Schedule of Rates (SoR) तय करने तथा विभिन्न जनपदों में दरों का विश्लेषण कर Acceptance/Rejection प्रदान किये जाने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- | | | |
|--|---|-------|
| (1) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड प्रभारी | - | सदस्य |
| (2) महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड | - | सदस्य |
| (3) जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर | - | सदस्य |
| (4) जिलाधिकारी, देहरादून | - | सदस्य |
| (5) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग | - | सदस्य |
| (6) परिवहन आयुक्त अथवा उनका नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (7) वित्त नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून | - | सदस्य |

उक्त समिति भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।

(आर0के0 तोमर),
संयुक्त सचिव।

संख्या 500/19-XIX-2/18 खाद्य/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.05.2019 के क्रम में प्रेषित।
- 2- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- कार्यकारी निदेशक, नार्थ जोन, भारतीय खाद्य निगम, नोएडा।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 6- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्यकारी आयुक्त
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
देहरादून
25-8
10/5/19
19
अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

आज्ञा से,
(आर0के0 तोमर),
संयुक्त सचिव।